



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2014/24.12.2014

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि-08.02.2015

राज्य सेवा परीक्षा - 2014

प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 09.05.2015

प्रथम प्रश्न पत्र -	सामान्य अध्ययन	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र -	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक

महत्वपूर्ण

- राज्य सेवा परीक्षा 2014 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आयु की गणना 01 जनवरी, 2015 के संदर्भ में की जायेगी।
- उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- उपरोक्त प्रारम्भिक परीक्षा 2014 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09.01.2015 को (दोपहर 12.00 बजे) से दिनांक 08.02.2015 (रात्रि 12.00 बजे तक) www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2015 से 10.02.2015 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारम्भिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि ₹ 90/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 09.05.2015 को दो सत्रों में आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 17.04.2015 से 07.05.2015 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे।
- विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा, साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिये गये E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किये जायेंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

01 :- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांग पत्रों के अनुसार दर्शाई गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार हैं :-

स.क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	मध्यप्रदेश के निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अना.	अनु. जाति	अजजा	अपिव	अना.	अनु. जाति	अजजा	अपिव				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
द्वितीय श्रेणी													
सामान्य प्रशासन विभाग													
01.	उप जिलाध्यक्ष	9	3	4	3	3	1	1	1	-	01 अस्थिवाधित	19	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
गृह (पुलिस) विभाग													
02.	राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक)	23	7	17	9	7	2	5	3	-	-	56	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
जेल विभाग													
03.	अधीक्षक, जिला जेल	3	0	1	0	1	0	0	0	-	-	04	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
वित्त विभाग													
04.	म.प्र. वित्त सेवा (कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/ लेखाधिकारी/सहायक संचालक)	23	7	8	6	7	2	2	2	-	02 अस्थिवाधित 01 श्रवणवाधित	44	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
05.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	05	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
06.	जिला आवकारी अधिकारी	1	0	2	1	-	-	-	-	-	-	04	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
07.	जिला पंजीयक	4	0	1	0	1	-	-	-	-	01 अस्थिवाधित	05	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग													
08.	रोजगार अधिकारी	6	2	1	1	1	0	0	0	-	01 श्रवणवाधित	10	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
सहकारिता विभाग													
09.	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	10	1	7	0	3	0	2	0	-	02 अस्थिवाधित 01 दृष्टिवाधित 01 श्रवणवाधित	18	15600-39100 +5400 ग्रेड पे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
श्रम विभाग													
10.	श्रम अधिकारी	7	2	1	2	3	0	1	0	-	01 अस्थिबाधित	12	15600+39100 +5400 ग्रेड पे
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग													
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ख" श्रेणी	1	0	0	0	0	0	0	0	-	01 श्रवणबाधित	01	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
12.	सहायक संचालक	2	0	0	0	1	0	0	0	-	-	02	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग													
13.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	35	8	8	9	11	3	3	3	-	02 अस्थिबाधित 01 श्रवणबाधित	60	9300-34800 +4200 ग्रेड पे
14.	विकासखण्ड अधिकारी	51	17	13	17	16	5	4	5	-	02 अस्थिबाधित 03 श्रवणबाधित	98	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
जनसम्पर्क विभाग													
15.	सहायक संचालक	7	5	1	3	1	1	0	0	-	01 अस्थिबाधित	16	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
आदिम जाति कल्याण विभाग (अ.जा./अ.ज.जा.)													
16.	जिला संयोजक	01	-	0	-	-	-	-	-	-	-	01	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
17.	क्षेत्र संयोजक	01	-	0	-	-	-	-	-	-	-	01	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
महिला एवं बाल विकास विभाग													
18.	सहायक संचालक	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	01	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
19.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	5	3	3	1	2	1	1	0	-	01 श्रवणबाधित	12	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
परिवहन विभाग													
20.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	5	2	4	2	1	1	1	1	-	-	13	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
तृतीय श्रेणी													
जेल विभाग													
21.	सहायक जेल अधीक्षक	18	5	5	4	5	1	1	1	02 अनारक्षित	-	32	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
22.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	11	4	4	3	3	1	1	1	01 अनारक्षित	-	22	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
23.	आवकारी उपनिरीक्षक	15	2	29	4	5	0	9	1	02 अनारक्षित 03 अ.ज.जा.	-	50	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
24.	उप पंजीयक	14	6	0	3	4	2	0	1	01 अनारक्षित 01 अ.जा.	01 अस्थिबाधित	23	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
राजस्व विभाग													
25.	नायब तहसीलदार	29	4	5	2	10	1	2	1	03 अनारक्षित	01 अस्थिबाधित	40	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
सहकारिता विभाग													
26.	सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	15	4	5	4	5	1	1	1	1 अनारक्षित	4 अस्थिबाधित 4 दृष्टिबाधित 3 श्रवणबाधित	28	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
श्रम विभाग													
27.	सहायक श्रम अधिकारी	1	3	4	3	0	1	1	1	1 (किसी भी श्रेणी से)	1 अस्थिबाधित	11	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग													
28.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ग" श्रेणी	0	2	1	0	0	0	0	0	-	02 अस्थिबाधित 01 श्रवणबाधित	03	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
कुल												591	

टीप :- 1. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

3. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

4. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं हैं उन पर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

4. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिचीक्षा पर की जायेगी।

अत्यंत महत्वपूर्ण :-

आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, ग्रीन कार्ड, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केंद्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

02. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

03. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। विज्ञापित पदों में वृद्धि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

04. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया

हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

व. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

05. परीक्षा योजना :-

1. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित चरणों में होगी :-

- (1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और
- (2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित)
- (3) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना तथा परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है।

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे प्रत्येक प्रश्नपत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जायेगी :-

प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	2 घंटे	200 अंक

यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयनसूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी।

3. (1) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये, अ, ब, स या द में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएँ। (काले बाल पाइंट पेन से सही उत्तर के गोले को काला करें)

(2) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र की समावधि 2 घंटे होगी।

(3) प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(4) प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।

(5) प्रारंभिक परीक्षा उपरान्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा, आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।

2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जायेगा :-

(अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।

(आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।

(6) कंडिका (5) अनुसार समिति द्वारा विलोपित किये गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

4. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से लगभग 15 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे।

5. मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

6. मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक शैली के कुल छः अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय रोजगार और निर्माण समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किये जायेंगे।

06. प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
01	इन्दौर	18	नरसिंहपुर	35	शाजापुर
02	उज्जैन	19	नीमच	36	शिवपुरी
03	उमरिया	20	पन्ना	37	श्यापुर
04	कटनी	21	बड़वानी	38	सतना
05	खण्डवा	22	बालाघाट	39	सागर
06	खरगौन	23	बैतूल	40	सिवनी
07	ग्वालियर	24	भिण्ड	41	सीधी
08	गुना	25	भोपाल	42	सीहोर
09	छतरपुर	26	मण्डला	43	हरदा
10	छिंदवाड़ा	27	मंदसौर	44	होशंगाबाद
11	जबलपुर	28	मुरैना	45	अशोकनगर
12	झाबुआ	29	रतलाम	46	बुरहानपुर
13	टीकमगढ़	30	राजगढ़	47	डिण्डौरी
14	दतिया	31	रायसेन	48	अनूपपुर
15	दमोह	32	रीवा	49	अलीराजपुर
16	देवास	33	विदिशा	50	सिंगरौली
17	धार	34	शहडोल	51	आगर-मालवा

नोट:- आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानीपूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जायेगा।

शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश

अभ्यर्थी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम पांच शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किये जायें। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आवंटित कर सकता है

तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

07. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

उम्मीदवार के पास, भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की स्नातक उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं उसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं दी गई है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिये जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा (मुख्य) में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा।

परन्तु साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाण फार्म के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टीप- (2) ऐसे उम्मीदवार भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी स्नातक उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

08 :- आयु सीमा एवं संगणना की तिथि -

आयु की गणना 01 जनवरी, 2015 के संदर्भ में की जायेगी।		
(अ)	गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक, आवकारी तथा जेल विभाग के अंतर्गत जिला आवकारी अधिकारी, आवकारी उप निरीक्षक एवं अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक जेल अधीक्षक तथा परिवहन विभाग हेतु सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-	

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
उप पुलिस अधीक्षक	20 वर्ष	25 वर्ष
जिला आवकारी अधिकारी	21 वर्ष	25 वर्ष
आवकारी उप निरीक्षक	20 वर्ष	30 वर्ष
अधीक्षक जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष
सहायक जेल अधीक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष

गृह विभाग, आवकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा उनके अपने भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी।

(ब) गृह विभाग, आवकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों के अतिरिक्त शेष पदों हेतु आवेदक ने 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 (चालीस) वर्ष की आयु पूरी न की हो।

09. शारीरिक मापदण्ड

उप पुलिस अधीक्षक, जिला आवकारी अधिकारी, आवकारी उप निरीक्षक, अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक जेल अधीक्षक के पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड निम्नानुसार हैं :-

क्र. पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
			बगैर फुलाये से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. उप पुलिस अधीक्षक पुरुष 168 84 89
महिला 155 सीने का माप अपेक्षित नहीं सीने का माप अपेक्षित नहीं

2. जिला आवकारी अधिकारी 163 84 89

3. आवकारी उप निरीक्षक पुरुष 165 81 86
महिला 152.4 सीने का माप अपेक्षित नहीं सीने का माप अपेक्षित नहीं

4. अधीक्षक, जिला जेल पुरुष 168 84 89
महिला 155 सीने का माप अपेक्षित नहीं सीने का माप अपेक्षित नहीं

5. सहायक जेल अधीक्षक पुरुष 165 80 --
महिला 158 सीने का माप अपेक्षित नहीं सीने का माप अपेक्षित नहीं

अधीक्षक, जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक जेल के पदों के लिए दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए।

10. 1. आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-क देखें।
2. ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-ख देखें।
3. ऑप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट-ग देखें।

11. 1. प्रारंभिक परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-एक देखें।
2. प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-दो देखें।

परिशिष्ट-क

आयु सीमा में छूट :-

(एक) उप पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक जिला जेल, सहायक जेल अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला आवकारी अधिकारी एवं आवकारी उप निरीक्षक हेतु निर्धारित छूटें उनके भर्ती नियमों के अनुसार रहेंगी।

(दो) अन्य पदों हेतु देय छूटें निम्नानुसार हैं -

(अ) अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण-

(एक) निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी :-

(क) महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित/आरक्षित/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा);

(ख) आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर);

(ग) मध्यप्रदेश सरकार तथा उसके निगम/मंडल/स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिक;

(घ) न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता वाले शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा वशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण : मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार।

“2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।”

(तीन) अधिकतम 2 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने (पति/पत्नी) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार “विक्रम अवाई” से सम्मानित खिलाड़ी हो: परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पण: (1) जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही निःशक्त प्रवर्ग को आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(3) आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य फायदे मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं। अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, निःशक्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट तथा अन्य फायदे केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुज्ञेय होंगी। अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
(4) यदि अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके पिता/पति क्रीमीलेयर में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुज्ञेय आरक्षण तथा अन्य छूटें, उपलब्ध नहीं होंगी।

(छह) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिकरण में है। उक्त रियासतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाण फार्म के साथ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र/अंकसूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-ख

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- राज्य सेवा परीक्षा 2014 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं-
- ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।
(1) स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Mastercard or VISA) के माध्यम से कर सकते हैं।
(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- Mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
- आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसका आवेदन पत्र मिलेगा, जिसमें उसके द्वारा जमा किये गये ऑनलाइन शुल्क, Transition ID तथा पंजीयन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। उक्त आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कियोस्क द्वारा आवेदक को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। आवेदक उक्त आवेदन-पत्र अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **15.01.2015 से 10.02.2015 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक **09.01.2015 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 08.02.2015 को रात्रि 12.00 बजे तक** ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक **15.01.2015 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 10.02.2015 को रात्रि 12.00 बजे तक** ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
- आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-**

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा।	

(मुख्य परीक्षा हेतु : योग्य आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा)

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन : (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर - 155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : विनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in>, www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए <https://www.mponline.gov.in> पर **Authorized Kiosk list Link** देखें। आवेदक काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक **18002335343** तथा **155343** (टोल फ्री) से भी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. परीक्षा दिनांक :- **09.05.2015**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-

आवेदक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर  क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां तीन आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Open Application Form
Pay for unpaid Application
Click here to view advertisement

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to view advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Open Application Form** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें **Link**.) दिखाई देगी। **Link** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर **jpg** या **gif** फॉर्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें। आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगे :-

- क्रेडिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।
- क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रान्जेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता

(पिछले पृष्ठ का शेष)

परिशिष्ट-दो

प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम
प्रथम प्रश्नपत्र : सामान्य अध्ययन

- सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण**
सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण (पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जीव विविधता तथा मौसम परिवर्तन) पर प्रश्नों में दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, सम्मिलित होंगे।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ**
वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।
- भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत**
इतिहास में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जावेंगे।
- (क) भारत का भूगोल**
भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।
- भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था**
इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे।
- खेलकूद**
मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तित्वों तथा प्रतिष्ठित खेल संस्थानों से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
- मध्यप्रदेश का भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति**
मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज, परिवहन से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियाँ, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी प्रश्न होंगे।
- मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था**
इसमें प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायतीराज, मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें उद्योग योजनाएँ, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्यप्रदेश की जनांकिकीय एवं जनगणना पर प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**
इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलि, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजिन, ई-मेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हेकिंग, क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995.**
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.**

द्वितीय प्रश्नपत्र :- सामान्य अभिरुचि परीक्षण

- बोधगम्यता
 - संचार कौशल सहित अंतर - वैयक्तिक कौशल
 - तार्किक कौशल एवं विश्लेषणत्मक क्षमता
 - निर्णय लेना एवं समस्या समाधान
 - सामान्य मानसिक योग्यता
 - आधारभूत संख्यनन (संख्याएँ एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि -दसवीं कक्षा का स्तर), आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि-दसवीं कक्षा का स्तर)
 - हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल (दसवीं कक्षा का स्तर)
- टिप्पणी:**दसवीं कक्षा के स्तर के हिन्दी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंध प्रश्नों का परीक्षण, प्रश्नपत्र में केवल हिन्दी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से, अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराये बिना किया जायेगा।

APPENDIX-II
PRELIMINARY EXAMINATION
SYLLABUS
FIRST PAPER: GENERAL STUDIES

- General Science and Environment**
Questions on general science and Environment (Environmental Ecology, Biodiversity & Climate Change) will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.
- Current Events of National & International Importance**
In current events knowledge of significant National and International level will be tested.
- History of India and Independent India**
In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.
- (a) Geography of India**
There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.
(b) General Geographical awareness of world.
- Indian Polity and Economy**
Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, sustainable economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.
- Sports**
Important games and sports tournaments, Awards, personalities and Renowned Sports Institutions of M.P., India, Asia and World.
- Geography, History and Culture of M.P.**
There will be questions related to the development of Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in the Geography of Madhya Pradesh. It will also have questions relating to important dynasties of M.P., Contribution of important dynasties in the History & Culture of Madhya Pradesh, There will be questions on Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.
- Polity and Economy of M.P.**
Political system, Political parties and elections, Panchayati Raj, Social system and sustainable economic development of M.P.. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.
- Information and Communication Technology**
Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.
- Scheduled Caste & Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) 1989 (No.33 of 1989) and the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955)
- The Protection of Human Rights Act, 1993.

SECOND PAPER : GENERAL APTITUDE TEST

- Comprehension
 - Interpersonal skill including communication skill
 - Logical reasoning and analytical ability
 - Decision making and problem solving
 - General mental ability
 - Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude ect.-Class X level) Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.-Class X level)
 - Hindi Language Comprehension Skill (Class X level)
- Note:- Question relating to Hindi Language Comprehension skill of Class X level will be tested through passages from Hindi language only without providing English Translation thereof in the question paper.

जी-22518/आर-30515/2014